

कार्यालय जनपद न्यायाधीश -पीलीभीत।

आदेश संख्या- 197/2025 दिनांकित: जुलाई 19, 2025

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2025 के (अधीनस्थ न्यायालयों के प्रयोग हेतु) कैलेण्डर में टिप्पणी क्रम संख्या 3 पर जनपद न्यायालय पीलीभीत में 05 दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने एवं उपरोक्त कैलेण्डर में टिप्पणी क्रम संख्या 7 के अनुपालन में, जो अवकाश द्वितीय शनिवार या रविवार को पड़ रहे हैं, उनके एवज में अतिरिक्त अवकाश घोषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के अनुपालन में, तत्कालीन जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत द्वारा पारित आदेश सं0-11/2025 दिनांकित 04.01.2025 के माध्यम से जनपद न्यायालय, पीलीभीत, बाह्य न्यायालय, बीसलपुर एवं ग्राम न्यायालय, पूरनपुर हेतु 5 स्थानीय अवकाश घोषित एवं 3 अतिरिक्त अवकाश घोषित किये जा चुके हैं।

परंतु मोहर्रम अवकाश जोकि रविवार में पड़ रहा था, चन्द्र दर्शन पर आधारित होने के कारण उक्त के एवज में कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित नहीं किया गया है। अतः **मोहर्रम अवकाश** के रविवार में पड़ने के कारण, उसके एवज में, जनपद न्यायालय, पीलीभीत, बाह्य न्यायालय, बीसलपुर एवं ग्राम न्यायालय, पूरनपुर हेत निम्न अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है।

क्रम सं०	दिनांक	दिन	पर्व/त्यौहार का नाम	टिप्पणी
1	04.08.2025	सोमवार	सावन का अंतिम सोमवार	मोहर्रम दिनांक 06.07.2025 रविवार में पड़ने के कारण

उपरोक्त घोषित अवकाश सहित चतुर्थ शनिवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2025 में जनपद न्यायालय, पीलीभीत में कार्यदिवस 265 से अधिक रहेंगे।

तदनुसार आदेश की प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, एम0ए0सी0टी0, समस्त न्यायालयों, बाह्य न्यायालय, बीसलपुर एवं ग्राम न्यायालय, पूरनपुर व समस्त अनुभागों को सूचनार्थ, समस्त बार संघों, नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु, केंद्रीय नजिर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु एवं जिला सूचना अधिकारी को समाचार-पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

समस्त सम्बन्धित अनुपालनार्थ सूचित हों।

दिनांकित: जुलाई 19, 2025


(अब्दुल शाहिद),
जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत